

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर

मुद्रणालय के कार्यों एवं प्रगति से सम्बन्धित संक्षिप्त नोट

संस्था का नाम	:	राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर एक राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्था है।
उद्देश्य	:	सदस्य व असदस्य सहकारी संस्थाओं एवं सरकारी विभागों में प्रयोगार्थ सामग्री का मुद्रण कार्य करना।
कार्यक्षेत्र	:	समस्त राजस्थान

● सहकारी मुद्रणालय के कारोबार की मुख्य गतिविधियां :-

इस मुद्रणालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई है। सहकारी मुद्रणालय द्वारा सहकारी संस्थाओं, राज्य सरकार के विभागों का मुद्रण कार्य राज्य सरकार द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखानियमों में स्वीकृत दरों पर किया जाता है। मुद्रणालय ने सहकारी संस्थाओं/सरकारी विभागों का गुणवत्तापूर्ण कार्य करते हुये उल्लेखनीय प्रगति की है।

राज्य सरकार ने मुद्रणालय के कार्य की विशिष्टताओं को देखते हुए इस मुद्रणालय को राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय के समकक्ष दर्जा प्रदान कर राज्य के सभी विभागों को इस मुद्रणालय से मुद्रणकार्य करवाने के लिये अधिकृत कर निविदाओं से मुक्त कर मुद्रण दरें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 30 के अन्तर्गत स्वीकृत की है। परिणामतः यह मुद्रणालय उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है।

रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियां, राजस्थान ने राज्य की समस्त सहकारी संस्थाओं को इस मुद्रणालय से ही मुद्रण कार्य करवाने हेतु समय समय पर आदेश जारी कर निर्देशित किया है। इस मुद्रणालय से कार्य कराने पर निविदाओं से मुक्त रखा गया है। सदस्य सहकारी संस्थाओं को मुद्रण कार्य पर 5 प्रतिशत की रिबेट का लाभ भी मुद्रणालय द्वारा प्रदान किया जाता है। सहकारी संस्थाओं को इस मुद्रणालय से मुद्रण कार्य करवाने पर निम्नांकित लाभ है :-

1. मुद्रण सामग्री उचित मूल्य पर एवं गुणवत्तापूर्ण प्राप्त होती है।
2. सदस्य संस्थाओं को 5 प्रतिशत रिबेट का लाभ मिलता है।
3. सदस्य संस्थाओं को लाभांश प्राप्त होता है।
4. पूर्व में मुद्रित किये गये कार्य का पुनः मुद्रण आदेश प्राप्त होने पर सामग्री की कम्पोजिंग व प्रोसेसिंग का चार्ज नहीं करने से लागत में कमी आती है।

● मुद्रण कार्य के संबंध में दर निर्धारण की प्रक्रिया

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय वर्ष 1960 से राज्य के सहकारिता क्षेत्र की मुद्रण हेतु स्थापित एक शीर्ष सहकारी संस्थान है। मुद्रणालय का प्रमुख कार्य राज्य की सहकारी संस्थाओं तथा राज्य सरकार के विभागों/संस्थानों आदि को मुद्रण सामग्री/मुद्रित सामग्री की आपूर्ति करना है।

सहकारी मुद्रणालय की मुद्रण दरें राज्य सरकार द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के भाग-11 के नियम 30 के अन्तर्गत स्वीकृत हैं। इसके अतिरिक्त लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के अंतर्गत सहकारी मुद्रणालय को मुद्रण हेतु अधिमान दिए जाने के प्रावधान हैं। (संलग्न परिशिष्ट-एक) मुद्रण कार्य में प्रयुक्त कागज एवं अन्य सामग्री का उपापन नियमानुसार रजिस्ट्रार/प्रशासक द्वारा गठित क्रय समिति जिसमें विभागीय लेखाधिकारी सदस्य हैं, के द्वारा लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अनुसार निविदाएं आमंत्रित कर किया जाता है। मुद्रण सामग्री में प्रयुक्त मुख्य घटक कागज की क्रय दर पर नियमानुसार दस प्रतिशत ओवरहेड चार्ज जोड़कर विक्रय मूल्य निर्धारित कर ग्राहक संस्थान को आपूर्ति किया जाता है।

● मुद्रणालय की उत्पादन क्षमता

वर्तमान में इस सहकारी मुद्रणालय में एच.एम.टी. लि0 से क्रय की गई की दो टू कलर ऑफसेट प्रिन्टिंग मशीन सहित कुल सात ऑफसेट प्रिन्टिंग मशीनें, आठ कम्प्यूटर सिस्टम, कैमरा, प्लेट मेकिंग, सीटी पोलीजेट सिस्टम सहित इत्यादि आधुनिक उपकरण स्थापित है।

मुद्रणालय की आदर्श उत्पादन क्षमता लगभग पांच करोड़ रुपये प्रतिवर्ष है। व्यवसाय वृद्धि व कार्य दबाव के दृष्टिगत मुद्रणालय नियत दरों पर बाह्य स्रोतों (आउटसोर्स) अर्थात् प्रिन्टर्स व बाईण्डर्स का एमपेनलमेन्ट कर कार्य निष्पादित करता है। चूंकि मुद्रणालय की उत्पादन क्षमता व मानव संसाधन का आकार सीमित है। एतदर्थ आउटसोर्सिंग के माध्यम से व्यवसाय वृद्धि सुगम व लाभदायक है।

गत पाँच वर्षों के व्यवसाय की स्थिति

वर्ष	व्यवसाय	सकल लाभ	शुद्ध लाभ	संचित लाभ
2011-2012	1164.97 लाख	180.51 लाख	47.79 लाख	5.05 करोड
2012-2013	1193.65 लाख	228.86 लाख	62.69 लाख	5.72 करोड
2013-2014	1190.43 लाख	140.44 लाख	34.70 लाख	6.07 करोड
2014-2015	1302.75 लाख	133.25 लाख	25.55 लाख	6.33 करोड
2015-2016(अनु.)	2130.88 लाख	229.30 लाख	83.72 लाख (अनु.)	7.16 करोड

● हिस्सा राशि

सहकारी संस्थाओं द्वारा मुद्रणालय में विनियोजित हिस्सा राशि 4.25 लाख रु. है। मुद्रणालय में समग्र सहकारी विकास परियोजना, जयपुर की हिस्सा राशि 27.00 लाख

विनियोजित है। दिनांक 19.08.2011 को मुद्रणालय के संशोधित उपनियमानुसार मुद्रणालय के सदस्य संस्था द्वारा अपने सदस्यता संबंधी अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक निर्धारित मानदण्डों के अनुसार आवश्यक पात्रता अर्जित नहीं कर ली हो। पात्रता में शामिल समझे जाने के लिये सदस्य संस्था द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मुद्रणालय से करवाये जाने वाले मुद्रण कार्य की न्यूनतम सीमा के अनुसार निम्न राशि तक मुद्रण कार्य करवाना होगा।

1. शीर्ष सहकारी सोसायटी न्यूनतम	—	15000 /—
2. केन्द्रीय “ “ “	—	10000 /—
3. प्राथमिक “ “ “	—	3000 /—

● **व्यवसाय वृद्धि की आगामी पांच वर्ष की कार्ययोजना :-**

मुद्रणालय की आगामी पंचवर्षीय कार्ययोजना निम्नानुसार है :-

1. मुद्रणालय की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु मुद्रणालय परिसर में निर्माण करवाया जाना है जिसमें मशीनरी व स्टोर को अधिक सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया जा सके। मुद्रणालय के झालाना स्थित भूखण्ड में बंधन कार्य एवं कागज स्टोर हेतु निर्माण करवाया जाना है।
2. मुद्रण क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी परिवर्धन के अनुरूप नई प्रकार की मशीनरी व सहायक उपकरण स्थापित किया जाना है।
3. मुद्रणालय को आगामी पांच वर्षों में देश के प्रतिष्ठित मुद्रणालयों की कतार में शामिल करने के लिये मुद्रणालय परिसर को वातानुकूलित बनाया जाना है।
4. मुद्रणालय का समस्त कार्य पूर्ण रूपेण कम्प्यूटरीकृत किया जाना है।
5. मुद्रणालय में नवीन तकनीकी युक्त मशीनों की स्थापना करने हेतु राज्य सरकार से 1.00 करोड़ रुपये की हिस्सा राशि विनियोजित करवाई जानी है।

● **लक्ष्यों की तुलना में दिनांक 31.03.16 तक मदवार वार्षिक उपलब्धि :-**

मुद्रणालय ने वर्ष 2015-16 की अवधि में दिनांक 31.03.2016 तक कुल रु. 2130.88 लाख का रिकार्ड व्यवसाय कर अनुमानित 83.72 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया है जो कि गत वर्ष 2014-15 की तुलना में रु. 828.13 लाख का व्यवसाय एवं लगभग रु. 58.17 (अनु.) लाख का लाभ अधिक है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 में मुद्रण दरों में लगभग 40 प्रतिशत कम करने के बावजूद मुद्रणालय द्वारा उपरोक्त अभूतपूर्व व्यवसाय किया गया है।

● **मुद्रणालय स्टाफ स्ट्रेन्थ :-**

वर्तमान में (दिनांक 30.04.2016) तक कुल 25 कर्मचारी नियोजित है जिसमें मंत्रालयिक संभाग में 7 एवं तकनीकी संभाग में 17 एवं प्रबन्ध निदेशक सहित कुल 25 अधिकारी/कर्मचारी नियोजित है।

● गैर सरकारी व्यवसाय वृद्धिकरण :-

मुद्रणालय को निम्न गैर सरकारी संस्थाओं से मुद्रण कार्य प्राप्त हो रहा है :-

1. राज्य की विभिन्न विश्वविद्यालयों से उत्तरपुस्तिकाओं का मुद्रण आदेश
2. ट्रक ऑप0 हाईवे सोसायटी (टोहास)

● आडिट रिपोर्ट की स्थिति व अनुपालना :-

- (1) मुद्रणालय को वर्ष 2014-15 तक की आडिट रिपोर्ट्स प्राप्त हो गई हैं। मुद्रणालय ने वर्ष 2013-14 तक की ऑडिट रिपोर्ट्स के आक्षेपों की पूर्ति कर अनुपालना रिपोर्ट सहकारी विभाग को भिजवा दी है। उक्त अनुपालना रिपोर्ट्स की पुष्टि आमसभा से करवा ली गई है। वर्ष 2015-16 के आडिट कार्य हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति कर दी गई है।

- (2) मुद्रणालय की आमसभा

मुद्रणालय की 37 वीं आम सभा दिनांक 29.09.2015 सम्पन्न हुई है जिसमें वर्ष 2014-2015 तक के अन्तिम लेखे प्रस्तुत कर दिये हैं।

● संस्था के लाभ-हानि एवं लाभांश वितरण :-

मुद्रणालय गत कई वर्षों से निरन्तर लाभ में चल रहा है। गत पाँच वर्षों के लाभ की स्थिति निम्नानुसार है :-

<u>वर्ष</u>	<u>शुद्ध लाभ</u>	<u>संचित लाभ</u>
2011-2012	47.79 लाख	5.05 करोड
2012-2013	62.69 लाख	5.72 करोड
2013-2014	34.70 लाख	6.07 करोड
2014-2015	25.55 लाख	6.33 करोड
2015-2016	83.72 लाख (अनु.)	7.16 करोड (अनु.)

सहकारी मुद्रणालय द्वारा वर्ष 2001-02 तक की अवधि का लाभांश सदस्यों को वितरण किया जा चुका है। शेष वर्षों के लाभांश वितरण की कार्यवाही की जा रही है।
